

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 25, 2019/माघ 5, 1940 No. 22] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 25, 2019/MAGHA 5, 1940

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 21 जनवरी, 2019

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) (पहला संशोधन) विनियम, 2018

फा.सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/2/153/2019.—बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धाराओं 14 और 26 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धाराओं 42डी, 42ई और 114ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थातु:-

- 1. विनियमों का संक्षिप्त नाम और प्रारंभः
 - (क) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) (पहला संशोधन) विनियम, 2018 के नाम से जाने जाएँगे।
 - (ख) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2018 में
 - क) अनुसूची II फार्म आर (विनियम 20(2) देखें) विदेशी निवेशकों द्वारा धारित ईक्विटी पूँजी के परिकलन का तरीका – खंड (1)(ख)(ii)(ii) में "स्पष्टीकरण" के अंतर्गत निम्नलिखित परंतुक निविष्ट करें

"बशर्ते कि अध्यक्ष, आईआरडीएआई पालिसीधारकों के हित और बीमा क्षेत्र की समग्र वृद्धि और विकास का ध्यान रखते हुए, गुण-दोष और स्थितियों के अधीन, भारतीय प्रवर्तक के कंपनी अधिनियम, 2013 की उपर्युक्त धारा में यथापरिभाषित सहायक कंपनी न होने की शर्त में छूट दे सकते हैं।"

> डॉ. सुभाष सी. खुंटिआ, अध्यक्ष [विज्ञापन-III/4/असा./498/18]

494 GI/2019 (1)

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

Hyderabad, the 21st January, 2019

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Brokers) (First Amendment) Regulations, 2018

F. No. IRDAI/Reg/2/153/2019.— In exercise of the powers conferred by sections 42D, 42E and 114A of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) read with sections 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Authority hereby makes the following regulations, namely: -

1. Short Title and Commencement of the Regulations:

- a) These Regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Brokers) (First Amendment) Regulations, 2018.
- b) They shall come into force on the date of publication in the official gazette.

2. In Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Brokers) Regulations, 2018

a) Schedule II – Form R [see Regulation 20(2)] – Manner of calculation of equity capital held by foreign investors – Insert the following proviso under "Explanation" in clause (1)(b)(ii) (ii)

"Provided the Chairman, IRDAI may relax the condition of the Indian promoter not being a subsidiary company as defined in the above section of the Companies Act, 2013 subject to merits and conditions, considering the interest of the policyholders and overall growth and development of the insurance sector."

Dr. SUBHASH C. KHUNTIA, Chairman

[ADVT. III/4/Exty/498/18]